कार्यालय नगर पालिका परिषद,झींझक जनपद-कानपुर देहात

पत्रांक- 216(1) /एन0पी0पी0जे0/विकास कार्य/2017-18 दिनांक : 10/10/2017

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, झींझक में पंजीकृत ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं फर्मो को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, झींझक में **14वॉं वित्त आयोग/2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निकाय में निम्न विवरण के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसके **डक्यूमेंट वेबसाइट www.etender.up.nic.in** व **www.npjhinjhak.com** पर दिनांक **12.10.2017 से 17.10.2017** तक उपलब्ध है, जो कि बेवसाइट से डाउनलोड व अपलोड किये जा सकते है तथा दिनांक 18.10.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) कलेक्ट्रेट कार्यालय एल0बी0सी0 पटल कानपुर देहात में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदाताओं/कुटेशनदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष खोले जायेगे। आगणन धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, झींझक कानपुर देहात के पदनाम बन्धक कर जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं पता	आगणन धनराशि	2% अर्नेस्टमनी की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ GST 18%	कार्य की अवधि
	14वॉं वित्त आयोग के अन्तर्गत				
1	नगर के विभिन्न वार्डो में 90 वाट 100 नग एल0ई0डी0 लाइट की आपूर्ति व अधिष्ठापन का कार्य।	14,66,035-	29,320-	1,450 + 261	15 दिवस
2	नगर के विभिन्न वार्डो में 200 वाट 50 नग एल0ई0डी0 लाइट की आपूर्ति व अधिष्ठापन का कार्य।	16,85,940-	33,720-	1,650 + 297	15 दिवस
3	Mahindra Bolero Camper	7,86,821- प्रति नग	15,750-	800 + 144	15 दिवस
4	Dustbin 2000 Pic 10 ली0 क्षमता वली	7,40,000-	14,800-	750 + 135	15 दिवस
5	बायोवान लिक्विड 96% 500 कि0ग्रा0	6,87,500-	13,750-	700 + 126	15 दिवस
	2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद के अर्न्तगत				
1	वार्ड नं0 11 में गाटा सं0 318 रकवा 0.410 मौजा तुरना की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	17,00,000-	34,000-	1,700 + 306	1 माह

अन्य शर्तेः-

1- किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद, झींझक के पास सुरक्षित होगा।

2- प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र मूल्य डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी एवं धरोहर धनराशि नगद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, झींझक के पद नाम से बन्धक करनी होगी जो (05) पॉंच वर्ष तक बन्धक रहेगी, जिसकी स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा नगद जमा की रसीद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की मूल प्रति निविदि के साथ संलग्न कर दिनांक 18.10.2017 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय नगर नगर पालिका परिषद, झींझक में रखे टेण्डर बॉक्स में डाली जायेगी। नगद जमा की रसीद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की मूल प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में आपके द्वारा डाली गई निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

3- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ0प्र0 भवन एवं कर्मचार (नियोजन एवं सेवा) शर्ते विनियमन अधिनियम 2005 के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्याणर्थ श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र को स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4- निविदाओं में फर्जी व छायाप्रति एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का पंजीयन निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

5- निविदा के ऊपर कटिंग/ओवर राइटिंग व सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

6- निविदा स्वीकार करने की वैधता निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90 दिन) होगी।

7- हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र आयकर, व्यापारकर प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ लगाना अनिवार्य होगा उक्त प्रमाण पत्र के समय एवं समयावधि के समाप्ति होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

8- स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाली गई है। ऐसी निविदा मान्य नही होगी।

9- ठेकेदार को निर्धारित मूल्यों के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

10- किसी भी निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होगा।

11- ठेकेदार के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी।

12- भुगतान से पूर्व 8% जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

13- हैसियत प्रमाण पत्र पॉंच लाख रूपये तक होना अनिवार्य है।

14- ठेकेदार निर्माण कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

15- अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नही की जायेगी।

16- यह कि निविदादाताओं की कार्ययोजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके अगले 5 वर्षो तक का रख-रखाव करना अनिवार्य है जिससे जमानत धनराशि रख-रखाव अवधि समाप्म होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

17- यह कि निविदा स्वीकृति की सूचना राज्य स्तर पर गठित तकनीकी समिति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त दी जायेगी। स्वीकृति उपरान्त से कार्य जारी किया जायेगा।

18- प्रत्येक कार्य के लिए अलग - अलग टेण्डर फार्म लेना आवश्यक है।

19- सशर्त निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।

20- निविदा की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

Alok

(आलोक रंजन वर्मा)
लिपिक
नगर पालिका परिषद, झींझक
कानपुर देहात।

(मुकेश कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, झींझक
कानपुर देहात।